विधान परिषद के खंड स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव के दौरान सियासी दलों के आरोप-प्रत्यारोप

सपा-भाजपा नेता भिड़े, आयोग से की शिकायतें

सियासी रण





बागपत से झांसी तक विवाद, हंगामा

फतेहपुर में फर्जी वोटिंग का आरोप, दो पक्ष भिड़े

झांसी के सांसद नाम न होने से नहीं कर पाए मतदान

गोरखपुर में पर्यवेक्षक की आयोग से शिकायत

भाजपा ने हार के डर से बेईमानी की: अखिलेश



राजकुमार भाटी न संभले तो हटा देंगे: रामगोपाल

सियासत 30s

विधायक अभय सिंह समेत तीन नामित

आजम के करीबी अनवर से नहीं हो सकी पूछताछ

अखिलेश आजम खां की शरण में जाते हैं: यतेंद्र

समाज कल्याण विभाग एआई का प्रयोग बढ़ाएगा

अपना दल (एस) का राष्ट्रीय सम्मेलन दो को

गोवंश संरक्षण केन्द्रों के लिए 3.2 करोड़ मंजूर

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

सार्वजनिक सूचना

गन्ना किसानों के बहाने पश्चिमी यूपी की राजनीति गर्माने की कोशिश

UTTAR PRADESH FINANCIAL CORPORATION
HEAD OFFICE : 14/88, CIVIL LINES, KANPUR

CORRIGENDUM

Due to an avoidable circumstances on e-auction portal for bidding on 21.10.2026 for two units namely M/s Rawat Cold Storage & General Mill Pvt. Ltd. Khasra No. 1088, Debai Road, Shikarpur, Bulandshahar (U.P.) & M/s Preetam Steel Pvt. Ltd., Plot no. B-5 Site-II UPSIDC Indl. Area, Orai Distt. Jalaun is hereby extended. The next date of bidding is 30.10.2026. Auction Bidding Start on 30.10.2026 at 11.00 Hrs. Auction Bidding End on 30.10.2026 at 16.00 Hrs.

INCHARGE (ZONE)

सनातन चेतना व वैश्विक गौरव का महापर्व बनेगा दीपोत्सव-26: योगी



एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार तय

योगी सरकार धूमधाम से वाल्मीकि जयंती मनाएगी

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

नीलामी सूचना E-Auction के द्वारा

मण्डल कार्यालयः बंसत विहार कॉलोनी निकट तहसील कार्यालय, बैराज रोड, बिजनौर (उ0प्र0)– 246701, ईमेल– cobznsam@pnb.bank.in

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) [नियम 8(6)/9(1)]/[नियम 6(2)] के अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 8 (6)/9(1)]/[नियम 6(2)] के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल/चल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों का तथा विशेष रूप से ऋणी (ओं)/गारन्टर (ओं) उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास दृष्टिबंधक/बंधक/प्रभारित है का **सांकेतिक (विवरण नीचे उल्लिखित)** कब्जा प्रतिभूति लेनदार के **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक** द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर **पंजाब नैशनल बैंक नीचे उल्लिखित ऋणी**/ गारन्टरों की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथियों को बेची जायेगी। प्रत्येक संपत्ति का रिजर्व मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपत्तियों का ज्ञात प्रभार का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित क्रेडिटर्स वेबसाइट में दिए गए लिंक को देखें **BAANKNET.COM**

क्र0 सं0	शाखा/ऋणी/गारन्टर का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/मालिक का नाम (संपत्ति के बंधक)	ए) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस की तारीख बी) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया रकम सी) 30.09.2026 तक मौजूदा बकाया रकम डी) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तारीख ई) कब्जे का प्रकार सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक कब्जा	(ए) रिर्जव मूल्य (लाख में) (बी) ईएमडी (सी) बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि/समय	बैंक को ज्ञात लेनदारों के प्रभार का विवरण
1	**शाखा नगीना, बिजनौर** **उधारकर्ता एवं बंधककर्ताः** श्री यूसुफ पुत्र श्री बुंदू एवं श्री राशिद पुत्र श्री मोहम्मद इदरीस (**गारंटर**)।	बंधक आवासीय संपत्ति, स्थित खसरा नं. 35, ग्राम- मोहम्मद हुसैनपुर, पृथ्वी नगर, क्षेत्र शामील, मोह कायस्थ सराय, नगीना, तहसील नगीना, जिला बिजनौर (उ.प्र.), क्षेत्रफल 153.17 वर्ग मीटर, (श्री यूसुफ पुत्र श्री बुंदू के नाम), जो बही नं. 01, जिल्द नं. 7381, पृष्ठ नं. 69-84, क्रमांक नं. 9114, दिनांक 13/10/2021, उप-पंजीयक कार्यालय- नगीना, जिला- बिजनौर (उ.प्र.) में दर्ज है। सीमाएं: उत्तरः आराजी बुधिया, दक्षिणः आराजी यूसुफ, पूर्वः 17 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः आराजी विक्रेता।	(ए) 02.07.2026 (बी) रू0 9,67,505.12 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 02.07.2026 (सी) रू0 9,95,750.21 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.09.2026 (डी) 19-09-2026 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 46,50,000/- रू0 4,65,000/- रू0 10,000/-	**26.11.2026** सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
2	**शाखा बुन्दकी, बिजनौर** श्री विकास देव पुत्र श्री मोती लाल (**ऋणी एवं बंधककर्ता**), एवं श्री जसवंत सिंह पुत्र श्री बजलोर सिंह (**गारंटर**)।	बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 71 एवं 81, ग्राम ग्रीन वैली कॉलोनी, तहसील - नजीबाबाद, जिला - बिजनौर, (उ.प्र.), क्षेत्रफल 42.16 वर्ग मीटर, श्री विकास देव पुत्र श्री मोती लाल के नाम पर है, जो बही नं. 01, जिल्द नं. 10157, पृष्ठ संख्या 153-174, क्रमांक 7976, दिनांक 22.09.2020 को उप-पंजीयक कार्यालय -नजीबाबाद, जिला - बिजनौर (उ.प्र.) में दर्ज है। सीमाएं: उत्तर मेंः 12 फीट रास्ता, दक्षिण मेंः रानू का मकान, पूर्व मेंः आराजी आलोक, पश्चिम मेंः आराजी पूजा।	(ए) 27.05.2026 (बी) रू0 7,04,514.77 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.04.2026 (सी) रू0 7,25,015.77/- + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.09.2026 (डी) 4.08.2026 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 12,80,000/- रू0 1,28,000/- रू0 10,000/-	**26.11.2026** सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
3	**शाखाः कोतवाली, बिजनौर** श्रीमती किरण देवी पत्नी श्री बबली (**ऋणी/बंधककर्ता**) एवं श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र नत्थू सिंह (**गारन्टर**)।	बंधक आवासीय सम्पत्ति खसरा नं0 88 मि का भाग, स्थित ग्राम- धनौरा (निकट ग्रीन वैली कॉलोनी) परगना एवं तहसील- नजीबाबाद, जिलस- बिजनौर (उ0प्र0) (सम्पत्ति स्वामी श्रीमती किरण देवीपत्नी श्री बबली), कुल माप क्षेत्रफल 33.46 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 9151, पेज नं0 343 से 370, क्र0सं0 2031, दिनांक 12.02.2019, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0) पर पंजीकृत है। विक्रय विलेख के अनुसार सीमाएँः- पूर्वः मंजुलता आदि का प्लॉट, पश्चिमः 12 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः विक्रेता आदि का प्लॉट, दक्षिणः नरेन्द्र सिंह का प्लॉट।	(ए) 15.05.2026 (बी) रू0 10,21,910.00/- + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.09.2025 (सी) रू0 10,66,024.85 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.09.2026 (डी) 19.08.2025 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 7,53,000/- रू0 75,300/- रू0 10,000/-	**26.11.2026** सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
4	**शाखाः कोतवाली, बिजनौर** श्रीमती तंजीम बेगम पत्नी श्री वाजिद हुसैन एवं श्री देशपाल सिंह पुत्र श्री भजन सिंह (**गारंटर**)।	बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित मोहल्ला- महाजनन, कस्बा-किरतपुर, तहसील - नजीबाबाद, जिला- बिजनौर,(उ.प्र.), श्रीमती तंजीम अख्तर पत्नी श्री वाजिद हुसैन के नाम पर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 24.12 वर्ग मीटर है,जो बही नं. 01, जिल्द नं. 4285, पृष्ठ संख्या 255 से 274, क्रमांक 10336, दिनांक 01.10.2009 को उप-पंजीयक कार्यालय, नजीबाबाद, जिला- बिजनौर, (उ.प्र.) में दर्ज है। सीमाएं: उत्तर मेंः राशिद हुसैन की दुकान, दक्षिण मेंः सत्यप्रकाश की दुकान, पूर्व मेंः बाबूराम का मकान, पश्चिम मेंः सड़क।	(ए) 01.06.2026 (बी) रू0 7,93,045.62/- + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.06.2026 (सी) रू0 8,05,129.62 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.09.2026 (डी) 04-08-2026 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 16,66,000/- रू0 1,66,600/- रू0 10,000/-	**26.11.2026** सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
5	**शाखाः कोतवाली, बिजनौर** **उधारकर्ता एवं बंधककर्ताः** श्री मोहम्मद इलियास उर्फ इलियास पुत्र श्री मोहम्मद सिद्दीक एवं **गारंटरः** श्री मोहम्मद आरिफ पुत्र श्री जमील अहमद।	बंधक आवासीय संपत्ति, मोहल्ला- मुनीरगंज (पालोमल कॉलोनी), नजीबाबाद, बिजनौर, (उ.प्र.) में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 111.87 वर्ग मीटर है। उक्त संपत्ति श्री मोहम्मद इलियास उर्फ इलियास पुत्र श्री मोहम्मद सिद्दीक के नाम पर है। यह संपत्ति बही संख्या 1, जिल्द संख्या 3639, पृष्ठ संख्या 219/240, क्रमांक 3667, दिनांक 31.03.2008, उप-निबंधक कार्यालय-नजीबाबाद, बिजनौर में पंजीकृत है। सीमाएं: उत्तरः लगभग 20 फीट चौड़ा आम रास्ता, दक्षिणः शमीम का प्लॉट, पूर्वः शहनाज का मकान, पश्चिमः रफीक अहमद का मकान।	(ए) 01.06.2026 (बी) रू0 7,99,002.33/- + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.06.2026 (सी) रू0 8,14,007.33 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.09.2026 (डी) 19.08.2026 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 28,52,000/- रू0 2,85,200/- रू0 10,000/-	**26.11.2026** सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं

सम्पत्ति बिक्रि, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अर्न्तगत लागू नियमों के अधीन व निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अनुसार होगी।

1. नीलामी बिक्री ''ई–नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन'' पोर्टल **https://baanknet.com/** होगी। 2. इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल–आईडी का उपयोग करके पोर्टल **(https://baanknet.com/)** पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, उनसे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। एक बार केवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाता है (जिसमे 5 कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाता / क्रेता को ई-नीलामी से पहले तक अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को स्थानांतरित करना होगा। पोर्टल में समय नीलामी से पहले, केवाईसी दस्तावेजों का पंजीकरण और वॉलेट में ईएमडी के हस्तांतरण को पहले से अच्छी तरह से पूरा किया जाना चाहिए। 3. उपर्युक्त धनराशि जमा (ईएमडी) राशि का भुगतान ऑनलाइन भुगतान 3 मोड अर्थात एनईएफटी/कैश /ट्रांसफर (से चालान जनरेट करने के पश्चात) **(https://baanknet.com/)** के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जाता है, हालांकि कैश / ट्रांसफर के लिए बोली लगाने वाले को पंजाब नेशनल बैंक शाखा का दौरा करना पड़ता है। चेक जैसे किसी अन्य मोड द्वारा ईएमडी का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं, जिन्होनें ईएमडी की राशि जमा नहीं कराई होगी को उन्हे ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई–नीलामी में भाग लेने के लिए जमा की गई ईएमडी की राशि पर कोई देय ब्याज नहीं दिया जाएगा। 4. ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म **(https://baanknet.com/)** ई–नीलामी सेवा प्रदाता **M/S PSB Alliance Private Limited द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट–1, तृतीय तल, वीआईओएस कमर्शियल टॉवर, वडाला टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट मुंबई–400037 (संपर्क टोलफ्री नंबर +91 8291220220, ई–मेलः– psba@psballiance.com)** इच्छुक बोलीदाताओं / क्रेताओं को ई–नीलामी की प्रक्रिया में ई–नीलामी के सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com/** के माध्यम से ई–नीलामी में भाग लेना होगा । 5. यहाँ अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिंत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 6. नीलामी के आगे के नियमों और विनियमों के लिए या तो इन वेबसाइटों पर जाएं या नोडल अधिकारी **श्री जितेन्द्र कुमार झा, मो0 नं0 9634200162 से पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालयः रिकवरी सेन्टर, निकट तहसील कार्यालय, बैराज रोड, बिजनौर (उ0प्र0)– 246701** मे संपर्क करें। बैंक बिना किसी कारण के नीलामी प्रक्रिया को रद्द / निलंबित करने का अधिकार रखता है। 7. सफल बोलकर्ता को दिये गये खाते में या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा तत्काल नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी तत्काल या अगले दिन सुबह जमा करानी होगी (जिसमें पूर्व में जमा किया गया ईएमडी को समायोजित कर दिया जायेगा) बयाना राशि को नीलामी की राशि में बाद में समायोजित कर दिया जायेगा। 8. नीलामी की स्वींति के 15 दिनों के भीतर बोली लगाने वाले को 75 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। यदि वह शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान दिये गये समय में नहीं कर पाता तो जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी और अनुपस्थित/दोषी व्यक्ति के सम्पत्ति सम्बन्धी सभी दावे या उससे सम्बन्धित दावे जिनकी बोली लगाई जानी है, वह भी खत्म हो जायेंगे। यदि नीलामी वाले दिन को अवकाश घोषित है, तो नीलामी अगले दिन आयोजित की जाएगी। 9. **प्लांट और मशीनरी पर जीएसटी/टीसीएस एवं अन्य कर क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।** 10. सफल बोलीकर्ता को रिजर्व मूल्य के एक क्रम ऊपर (बोली वृद्धि राशि) बोली लगाना अनिवार्य है। 11. यह इच्छुक बोलीदाताओं की जिम्मेदारी है कि वे बिक्री नोटिस, ई-नीलामी के नियम और शर्तें, ई-नीलामी के परिचालन भाग पर सहायता मैनुअल को ठीक से पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें। 12. प्राधिकृत अधिकारियों की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई बाधा नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदातओं, को अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी में रखी गई संपत्ति के भार, श्शीर्षक, संपत्ति के भौतिक क्षेत्र और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। बोली लगाने से पहले किसी भी वैधानिक देनदारियों, कर के बकाया, दावों आदि के बारे में पूछताछ करना। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की ओर से किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता का गठन नहीं करता है और न ही इसे माना जाएगा। संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य की बाधाओं के साथ बेची जा रही है, चाहे बैंक को ज्ञात हो या ना हो। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी दावे/अधिकार/बकाया राशि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 13. बैंक बिक्री के लिए प्रस्तावित संपत्ति के संबंध में या बकाया जल/सेवा शुल्क, स्थानांतरण शुल्क, बिजली बकाया, नगर निगम/स्थान का बकाया जैसे किसी भी अनुमति/लाइसेंस, एनओसी आदि प्राप्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्राधिकरण/सहकारी हाउसिंग सोसाइटी या उक्त संपत्ति की बिक्री के संबंध में और/या कोई अन्य बकाया, कर, लेवी शुल्क, हस्तांतरण शुल्क यदि कोई हो। सफल बोलीदाता को संपत्ति की खरीद के संबंध में आयकर के प्रावधानों का पालन करना होगा और लागू दरों के अनुसार अधिकारियों को कर का भुगतान करना होगा। 14. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है/सावधान किया जाता है कि वे अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले संबंधित राजस्व रिकॉर्ड/अन्य वैधानिक प्राधिकारियों जैसे बिक्री कर/उत्पाद शुल्क/आयकर आदि को सत्यापित करें और संपत्ति की प्रकृति, विवरण, शर्तों, बाधा, लाइन, शुल्क, वैधानिक बकाया आदि के बारे में खुद को संतुष्ट करें। 15. बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के खिलाफ डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत द्वारा पारित किसी भी स्थिगत/निषेध/निरोधक आदेश के लंबित रहने तक बिक्री प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 16. बिक्री पर रोक/रद्दीकरण' ओआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा आगे की कार्यवाही पर रोक के मामले में, नीलामी को या तो स्थगित किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है, बिक्री में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान, मुआवजे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। 17. बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना और कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित/स्थगित करने/रद्द करने/बिक्री के किसी भी नियम और शर्तो को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार और विवके है। 18. ऋणियों/गारंटी दाताओं को सूचना दी जाती है कि डिमांड नोटिस के अनुसार समस्त राशि (व्याज एवं अन्य खर्चों सहित) नीलामी की तारीख से पहले जमा कर दें। ऐसा न करने पर सम्पत्ति की नीलामी की दी जायेगी और बची हुई राशि, यदि कोई है, ब्याज एवं खर्चा सहित वसूल की जायेगी। नोटः अधिक जानकारी के लिए इन मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क करें- **9634200162.** 19. किसी भी बोली वृद्धि को भूमि और भवन तथा संयंत्र और मशीनरी दोनों पर आनुपातिक रूप से बढ़ा हुआ माना जाएगा।

दिनांकः 23.10.2026 | स्थान – बिजनौर | प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति लेनदार